

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13 “वेतन”, “परिलब्धि” और “वेतन के बदले में फायदा” की परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में एक नया उपखंड (viii) अंतःस्थापित करने के लिए है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, वेतन में सम्मिलित किए जाने वाले किसी अन्य सीमान्त फायदे या सुख-सुविधा के मूल्य को विहित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 14, गृह-संपत्ति के वार्षिक मूल्य के अवधारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 23 को प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण ऐसी शर्तें विहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है जिसमें किराए की ऐसी रकम, जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता है, वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराए में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

खंड 23, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है। उपखंड (ख), जो उक्त धारा के उपखंड (2क) का संशोधन करने के लिए है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है, जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति और वैज्ञानिक अनुसंधान को अनुमोदित करेगा।

विधेयक का खंड 44 कतिपय मामलों में अनिवासियों के साथ संव्यवहारों से आय-की संगणना कैसे की जाएगी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 92क की उपधारा (2) का खंड (ड) दो उद्यमों के बीच पारस्परिक हित की ऐसी नातेदारी विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है, जिसके विद्यमान रहने पर उद्यमों को सहयुक्त उद्यम समझा जाएगा।

प्रस्तावित नई धारा 92ग की उपधारा (1) में केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए कारकों को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है। उक्त धारा के खंड (च) में केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को उक्त असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए कोई अन्य पद्धति विहित करने के लिए भी सशक्त किया गया है।

प्रस्तावित नई धारा 92ग की उपधारा (2) में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को किसी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त पद्धति के अवधारण की रीति को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है।

प्रस्तावित नई धारा 92घ की उपधारा (1) में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसी सूचना और दस्तावेजों को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, रखना और बनाए रखना अपेक्षित है। उपधारा (2) में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उस अवधि को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज रखे और बनाए रखे जाएंगे।

प्रस्तावित नई धारा 92ड में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उस व्यक्ति द्वारा, जिसने पूर्ववर्ष के दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, रिपोर्ट के प्ररूप और सत्यापन किए जाने की रीति को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है।

विधेयक का खंड 47 विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या शेयरों अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कग को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) का खंड (क) और खंड (ख) केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विदेशी करेंसी में अनिवासी द्वारा क्रय के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा बंधपत्रों और सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें जारी करने की स्कीम विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई धारा केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी स्कीम विनिर्दिष्ट करने के लिए भी सशक्त करता है, जिसके अंतर्गत “मध्यवर्ती” अनुमोदित किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 48 विदेशी करेंसी में क्रय किए गए सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता

है जिसके द्वारा किसी ऐसे निर्धारिती की, जो निवासी कर्मचारी है, कुल आय के अंतर्गत संदेय आय-कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ और धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभार्श्यों से भिन्न लाभार्श्यों के रूप में आय है। उपधारा (1) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य उद्योग या सेवा को विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 54 आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित नई उपधारा (1) में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई विवरणी के प्ररूप और उसमें उल्लिखित विशिष्टियों के सत्यापन की रीति विहित करने के लिए सशक्त किया गया है। उक्त उपधारा के प्रस्तावित परंतुक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए जिसमें वह व्यक्ति, जो कंपनी से भिन्न व्यक्ति है, जिससे इस उपधारा के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, निवास करता है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट छह शर्तों में से किसी एक को पूरा करने पर यथा पूर्वोक्त प्ररूप और रीति में नियत तारीख को या उसके पूर्व पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय की विवरणी देगा।

प्रस्तावित उपधारा (1) का प्रस्तावित दूसरा परंतुक केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें पहले परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 3 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पड़ोसी देशों या ऐसे तीर्थ स्थानों को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है जो “किसी विदेश की यात्रा” में सम्मिलित नहीं है।

विधेयक का खंड 55 स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित नई उपधारा (5ख) के पहले परंतुक में केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन विभिन्न दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया गया है जिनको उक्त उपधारा के उपबंध व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 63 “वेतन” से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित नई उपधारा (2ग) में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, उस व्यक्ति को दिए गए वेतन के बदले में उन परिलब्धियों या फायदों की और उनके मूल्य की सही और पूर्ण विशिष्टियाँ देते हुए विवरण के प्ररूप और उसे दिए जाने की रीति को विहित करने के लिए सशक्त किया गया है जिसके अनुसार उसको, जिसको ऐसा संदाय किया गया है, देगा जिनके लिए व्यक्ति “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय-कर का संदाय करने के लिए दायी है।

विधेयक का खंड 99(क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कख का संशोधन करने के लिए है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विलंबित प्रतिदायों पर अठारह प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक दर से ब्याज की दर नियत करने की शक्ति प्रदत्त करता है।

विधेयक का खंड 110(क), सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विभिन्न राज्यों में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार की मद्यसारिक लिकर पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए, आयातित मद्यसारिक लिकर के रूप में अतिरिक्त शुल्क की दर और यदि किसी राज्य में, उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर का उत्पादन या विनिर्माण नहीं होता है तो, उस उत्पाद-शुल्क का ध्यान रखते हुए, जो उस मद्यसारिक लिकर के, जिससे आयातित लिकर संबंधित है, वर्ग या वर्णन पर तत्समय उद्ग्रहणीय होगा, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 111(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख का संशोधन करने के लिए है। यह खंड केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वस्तु की मात्रा को, जब किसी देश या भारत में किसी राज्यक्षेत्र से आयातित की गई हो, छूट देने की शक्ति प्रदत्त करता है।

विधेयक का खंड 113(ख), सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है। यह खंड केन्द्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त संशोधन को प्रवर्तन में लाने की तारीख नियत करने की शक्ति प्रदत्त करता है।

विधेयक का खंड 119(क), केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कख का संशोधन करने के लिए है। इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विलंबित प्रतिदायों पर अठारह प्रतिशत से अन्धून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक दर से ब्याज की दर नियत करने की शक्ति प्रदत्त करता है।

विधेयक का खंड 130, वित्त अधिनियम, 1994 का संशोधन करने के लिए है। उक्त खंड का उपखंड (क) में उक्त अधिनियम की धारा 66 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई धारा 66 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) केन्द्रीय सरकार को उन उपधाराओं के अधीन उद्गृहीत सेवा-कर के संग्रहण की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है। उक्त खंड की उपधारा (ड) में वित्त अधिनियम, 1994 की नई धारा 70 और 71 प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित धारा 70 केन्द्रीय सरकार को उस प्ररूप और रीति,

जिसमें और वह अंतराल, जिस पर उस धारा के अधीन विवरणी दी जाएगी, का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

खंड 131, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की पहली अनुसूची को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन पत्रों, पोस्टकार्ड, प्रिंटेड पोस्टकार्ड, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड, बुक पैटर्न और नमूना पैकेटों की दरों को, विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किए जाने और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की तारीख से पुनरीक्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है।

वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में अधिसूचनाएं निकाली जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके बारे में विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।